



E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2020; 2(2): 67-68
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 21-05-2019
Accepted: 28-06-2019

हितेन्द्र कुमार
पी०एच०डी० शोधार्थी
ए०के० कॉलेज षिकोहाबाद,
फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
हितेन्द्र कुमार
पी०एच०डी० शोधार्थी
ए०के० कॉलेज षिकोहाबाद,
फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

भारत में पंचायत राज व्यवस्था: एक अध्ययन

हितेन्द्र कुमार

सारांश

पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना भारत के योजनाकारों की एक अवष्यम्भावी प्रयास है इसके साथ ही पंचायत राज, सामाजिक समता और न्याय, बन्धुत्व एवं आर्थिक विकास और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन को नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है। विषय की वृहदतम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत की प्रमुख विषयता है। लोकतंत्र मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। शासन के ऊपरी स्तरों (केन्द्र एवं राज्य) पर कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएँ एवं मूल्य शक्तिशाली न हो। यदि लोकतंत्र का अर्थ जनता की समस्याएँ एवं उनके समाधान की प्रक्रिया में जनता की पूर्ण तथा प्रत्यक्ष भागीदारी हो तो प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं विषिष्ट लोकतंत्र का प्रमाण उतना सटीक अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। पंचायत राज व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधुनिक रूपान्तरण है।

मूल शब्द: पंचायत राज, स्थानीय शासन, प्रशासनिक संस्था इत्यादि।

प्रस्तावना

पंचायत राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधुनिक रूपान्तरण है इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह शासन को जनता के निकट ला देता है। लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायत राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। लोकतंत्र की संकल्पना को अधिक यथार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायत राज व्यवस्था एक ठोस तथा अभिनव कदम है। पंचायत राज व्यवस्था एक ठोस तथा अभिनव कदम है। पंचायत राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यों में अनवरत रुचि बनी रहती है क्योंकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं को सूझबूझ के साथ स्थानीय विधि से समाधान कर सकते हैं। पंचायत राज के महत्व के संदर्भ में पं० नेहरू ने भी कहा था कि "पंचायत सरकारी इमारत की नींव है यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर खड़ी हुई इमारत कमजोर होगी।"

भारत में पंचायत राज का विकास

वर्तमान में पंचायत राज व्यवस्था स्थानीय प्रशासन का अभिन्न अंग बन चुकी है। इस व्यवस्था का उदभव कब हुआ तथा इसका तत्कालिक स्वरूप क्या था? इसके बारे में कहना कठिन है यह अनुमान अवष्य किया जा सकता है कि जब मानव समुदाय का उदय हुआ लगभग उसी समय से पंचायत व्यवस्था उदभव भी हुआ होगा। पंचायत अर्थात् पांच व्यक्तियों की सभा जो एक अति प्राचीन संस्था है जिसका अस्तित्व उनके राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के पश्चात भी बना रहा है।^[2]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व (प्राचीन) भारत में पंचायत राज

भारत में पंचायत राज की पृष्ठभूमि अतिप्राचीन रही है अर्थात् उसका स्वरूप प्रथक-प्रथक प्रकार का रहा है चूँकि शासन के स्वरूप में समय-समय पर अंतर रहा है अतः भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के स्वरूप में भी समय-समय पर विभेद रहा है।

मुगलकाल में पंचायत राज

एस०वी० सामन्त का मुस्लिम काल में पंचायतों के न्यायिक पहलू पर मत यह है कि गाँव की सभाएँ मुस्लिम काल में राज्य का समर्थन करती थी क्योंकि हम यह देखते हैं कि मुस्लिम शासकों के काल में जब मुस्लिम हित अन्तर्व्याप्त रहते थे, शासकों के द्वारा पंचायतों के निर्णयों को लागू किया जाता था। यह एक ऐसा प्रमाण है जो यह सिद्ध करता है कि राज्य की शक्ति हमेशा गाँव की सभा में निहित रहती थी, इससे स्पष्ट होता है कि मौर्य काल व गुप्तकाल की पंचायतों का रूप व उनके पीछे की भावना मुगल काल में भी विद्यमान थीं।

मुखिया, लेखाकार एवं चौकीदार, जो पूर्व समय में पाए जाते थे: मुगलकाल में भी शासन करते थे।

ब्रिटिश काल में पंचायत राज


ग्रामों की स्वायत्तता तथा स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं की अजस्र धारा 18वीं शताब्दी के मध्य में आते-जाते समाप्त हो गई थी। इस सम्बन्ध में प्रमुख कारण प्रारम्भ में अंग्रेज शासकों ने पंचायतों को नकारा, क्योंकि उनको इस संस्थाओं के महत्व का ज्ञान नहीं था किन्तु कालान्तर में पंचायत राज संस्थाओं के महत्व की अनुभूति होने पर उन्होंने स्वयं इन संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के प्रयास किया। प्रारम्भ में अंग्रेज शासकों ने ग्रामीण स्वशासन के स्थान पर अधिकारी तन्त्र को प्राप्ताहित किया जा सके। वस्ततः ब्रिटिश प्रशासन के अन्तर्गत गाँवों की आत्मनिर्भरता की व्यवस्था नष्ट हो गई थी और पंचायत व्यवस्था भी पूर्णतः षिथिल हो गई थी।^[3]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में पंचायत राज

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक नई पहल प्रारम्भ हुई थी 26 जनवरी 1950 को भारत में स्वनिर्मित संविधान परिवर्तित हुआ। संविधान में स्थानीय स्वशासन को राज की कार्य सूची के अन्तर्गत रखा गया तथा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कहा गया कि "राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का इस ढंग से संगठन करे कि वे स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के रूप में कार्य कर सकें।"^[4]

नवीन पंचायत राज: त्रिस्तर तथा कार्य प्रणाली, सुचारुता वर्तमान परिप्रक्ष्य में

बलवन्त राय मेहता समिति (1957) ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता के लिए ग्राम पंचायतों के वर्तमान ढांचे की जगह पंचायत राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव त्रिस्तरीय व्यवस्था के अनुरूप करना उचित माना। केन्द्र सरकार ने एक कानून बनाकर सन 1951 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को निम्न स्वरूप दिया—



निष्कर्ष

आरम्भ में पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था से ग्रामीण विकास में बहुत सहायता मिली लेकिन धीरे-धीरे यह महसूस किया गया कि यह व्यवस्था ग्रामीण विकास में उतनी प्रभावी सिद्ध नहीं हो रही जितनी कि इससे आशा की गई थी। यह आवश्यक समझा गया कि 'सामाजिक न्याय' की दृष्टि से पंचायत राज संस्थाओं में अनसूचित जातियों, जनजातियों पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. नेहरू जवाहर लाल (1965) सामुदायिक विकास एवं पंचायत राज सस्ता साहित्य प्रकाशन (मण्डल) दिल्ली-पृ0 104
2. मजूमदार बी0बी0 (1915) प्रावलम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पटना प्रकाशन, पटना (बिहार) पृ0 205
3. पाण्डेय राजाराम (1989) पंचायती राज, प्रकाशन पूर्वोक्त पृष्ठांकन-6
4. भारत का संविधान, अनुच्छेद-40